

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2020-21

दिनांक:- 8/11/2021

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त डाईट प्राचार्य

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

समस्त विशिष्ट संस्थायें

उप- पंजियक कार्यालय

विषय:- हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2021-22 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसम्बर देय जनवरी से प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन माह दिसम्बर, 2021 देय जनवरी, 2022 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं दर से की जानी है।

हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2021 देय जनवरी, 2022 के सम्बन्ध में गत वर्ष की भाँति एक निदेशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें एवं उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधिनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान करें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाईल नम्बर पर डायल कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803, 7023634416

सत्यमेव जयते

(दयाशंकर अरडावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2020-21

दिनांक:- 8/11/2021

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. स्टाफ ऑफिसर माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ।
2. लेखाधिकारी रोकड़ अनुभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हाजा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(दयाशंकर अरडावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि का अंशदान वेतन माह दिसम्बर, 2021 भुगतान जनवरी, 2022 सीधे ही वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश:-

- 01 वेतन माह दिसम्बर 2021 देय जनवरी 2022 हितकारी निधि अंशदान कटौती हेतु निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करें, परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।
- 02 वार्षिक अंशदान परिपत्र अनुसार निर्धारित दर से किया जाना है।
- 03 प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी साथ संलग्न (क्र0स0 1) के अनुसार एक पत्र अपने कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उक्त पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावें।
 1. वेतन बिल के साथ (क्र0स0 2) अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हितकारी निधि का कटौती शिड्यूल संलग्न किया जावें, जिसके अंत में डीडीओ के हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर एवं डीडीओ कोड़ अंकित किया जावें।
 2. पत्र के साथ निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 15.3.2018 एवं 19.12.2018 (क्र0स0 3,4) संलग्न करें।
 3. पत्र के साथ हितकारी निधि खाता संख्या 51020721611 की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ कि प्रति संलग्न करें।(क्र0स0 05)
- 04 बिन्दु संख्या 03 में अवगत कराये अनुसार पत्रादि तैयार कर संबंधित कोषालय/उप-कोषालय में पत्र प्रस्तुत कर कटौती सुनिश्चित करें।
- 05 पे-मैनेजर पर Add. Groupe Dependent Deduction के माध्यम पर Add करवा कटौती करवावें।
- 06 दिसम्बर 2021 के वेतन बिल से कटौती हो जाने के पश्चात् आप को अपने स्तर से कटौती के Option को डिलिट करना होगा, ताकि अगले माह पुनः कटौती ना हो जावें, इसका विशेष ध्यान रखा जावें, क्योंकि यह कटौती वार्षिक है।
- 07 दिसम्बर 2021 के वेतन से यदि किसी कारणवश वेतन आहरित नहीं हुआ है, तो जब भी दिसम्बर का वेतन आहरित हो उक्त प्रक्रिया से ही कटौती की जावे।
- 08 वेतन विपत्र से कटौती दिसम्बर, 2021 देय जनवरी, 2022 के वेतन से ही अनिवार्य रूप से की जानी है, यदि कटौती नहीं होती है तो हितकारी निधि की लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 09 वेतन विपत्र पारित होने के उपरान्त हितकारी निधि अंशदान कटौती के शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 कैश बुक की एक प्रति हस्ताक्षरित प्रति, अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित करें, ताकि जमा राशि का मिलान किया जा सके।
- 10 पी0डी0 खाते से जिनका वेतन आहरण किया जाता है, इस सम्बन्ध में वेतन आहरण अधिकारी ही शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 प्रति भिजवाने हेतु जिम्मेदार होंगे।



कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी

.....
.....

विषय:— Add Group Dependent Deduction में
कटौती शुरू करवाने बाबत।

महोदय,

- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर, 2021 का वेतन जो माह जनवरी, 2022 में देय होगा जिसमें समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से हितकारी निधि फण्ड के लिये वार्षिक अंशदान कि कटौती की जानी है। उक्त कटौती पै-मेनेजर में Add Group Dependent Deduction से की जानी है।
- इस प्रकार से काटी गई सशि हितकारी निधि में निम्नानुसार जमा की जानी है।

01	Bank Account No.	51020721611
02	Bank IFSC Code	SBIN0031347
03	Bank Branch	के0ई0एम0 रोड़, शाखा, बीकानेर

- वर्तमान में Add Group Dependent Deduction में कटौती वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई है अतः पूर्वानुसार कृपया Add Group Dependent Deduction में कटौती शुरू करवाने का श्रम करावें। इस कार्यालय की ऑफिस आई0डी0 है।

क्र0स0	ग्रुप का नाम जिसमें कटौती की जानी है।
01	हितकारी निधि

हस्ताक्षर
DDO:-
Code No.:-

1234

80 DD (A)
21-3-18

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.5(श-75)कोष/IFMS/Paymanager/21318

दिनांक: 15/3

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय: Add. Group Dependent Deduction में कटौती शुरू करवाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 07.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संयुक्त सूत्र द्वारा Add. Group Dependent Deduction Pay manager System में हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माफत वेतन किली की आंतरिक राशि में से कटौति कर एस.बी.आई. खाता संख्या 31020721611 में जमा करवाने का विकल्प उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि उक्त मावेना कोषाधिकारी लोगिन में उपलब्ध है। अतः तदनुसार संबंधित कोषाधिकारी से सम्पर्क कर उचित कार्यवाही करवाया जाना अपेक्षित है।

सत्यमेव जयते

भवदीया

(मजुली वरमा)
निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/व-मैनेजर/9966-10006

दिनांक 19/12/18

कोषाधिकारी
समस्त।

विषय- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन से हितकारी निधि को डिडक्शन (जो माह दिसम्बर देय माह जनवरी के वेतन से की जाती है) जोड़ने को को-ऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में जोड़ने की सुविधा डीडीओं लॉगिन में उपलब्ध है जिसका माथे निम्नानुसार है :-

DDO Login - Deduction Master - Co-Operative deduction

अतः संबंधित डीडीओं अपने स्तर से उक्त डिडक्शन को जोड़े जाने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय


(अंशु शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/व-मैनेजर/

दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को सूचनायें प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

Chg/Ch = Charge/शुल्क	Inop = Inoperative/अपरिचालित	SC = Short Credit/लघु जमा
Chq = Cheque/चेक	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थिर अनुदेश
Clos = Closure/बन्द	Int/In = Interest/ब्याज	S/D/W/Ho = Son/Daughter/Wife/Husband of/पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/संग्रहण	Lon/In = Loan/भ्रम	Tr/Trf/Xfer = Transfer/अंतरण
Comm = Commission/कमीशन	Min = Minimum/न्यूनतम	TT = Telegraphic Transfer/ताग अंतरण
CORR/GORR = Correction/सुधार	Os = Outstanding/बकाया	Trn = Transaction/लेन देन
CR = Credit/जमा	P & T = Postage & Telegram डाक व ताग	Wd = Withdrawal/आहरण
Cash = Cash/नकद	Pos = Point of sale/निक्रय केंद्र	MOD bal+CD Bal=total balance (SB+linked MOD A/C) बहुविकल्प शेष+जमा शेष = कुलशेष

भारतीय स्टेट बैंक



51020721611
State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No : 78120732132

Account No : 51020721611

Customer Name: HITKARI NIDHI

S/D/W/H/O: HITKARI NIDHI

Address: D & E RAJASTHAN BIKANER

HITKANPR

Phone: 0151

Fmai

D.O.B. (If Minor):

POP: SINGLE

Now. Reg. No.:



BIKANER K.E.M. ROAD
K.E.M. ROAD

Phone: 2223070

Email: sbi.31347@sbi.co.in

Branch Code: 31347

Date of Issue: 07/09/2018

07/09/2018 7838247 31347

IFSC: SBIN0031347

MICR: 3140030

Branch Manager

CONTINUATION